

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संख्या-3/सी०एस०एम० आवंटन-03/2014 358 पटना-15, दिनांक- 10/07/14

प्रेषक,

अजय कुमार द्विवेदी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

पर्यावरण एवं वन विभाग/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/लघु जल संसाधन
विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण
विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं०-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 04-
विद्युत प्रभार व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में निधि का आवंटन।

आदेश : 3,00,000/- (तीन लाख) रू० संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के आवंटन
की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-
मंत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका कोड सं०-N2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2419 वि०(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के
पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के
अधीन है सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार
पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561,
दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन
पूर्ववत रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यार्पण
दिनांक-30.03.2015 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी
सम्बन्धित विभाग की होगी।

विष्णुसमाज


(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

3
08/7/14

- अजय कुमार द्विवेदी -

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-मंत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान आवंटन की राशि
1.	पर्यावरण एवं वन विभाग	50,000/-
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	50,000/-
3.	लघु जल संसाधन विभाग	50,000/-
4.	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	50,000/-
5.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	50,000/-
6.	पंचायती राज विभाग	50,000/-
कुल योग		3,00,000/- (तीन लाख रु०)


 08/09/14
 (अजय कुमार द्विवेदी)
 सरकार के विशेष सचिव
 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
 3/08/14